



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नैहल रोड, देहरादून, दूरभाष : -0135-2657610, फैक्स : -0135-2655488

पत्रांक: एन० 3945

/भौतिक सत्यापन(लौगिंग प्रभाग)/2015-16

सेवा में,

दिनांक: 19/ सितम्बर 2016

विषय :-

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

लौगिंग प्रभागों के अन्तर्गत उपलब्ध कच्चा एवं अर्द्ध निर्मित माल (वृक्ष एवं उत्पादित प्रकाश आदि) का भौतिक सत्यापन दिन 30-09-2016 की विधाति में।

महोदय,

लौगिंग प्रभागों के अन्तर्गत उपलब्ध कच्चा एवं अर्द्ध निर्मित माल (वृक्ष एवं उत्पादित प्रकाश आदि) का भौतिक सत्यापन इस वर्ष भी किया जाना है।

उक्त भौतिक सत्यापन माह अक्टूबर 2016 में सम्पन्न कर लिया गया जाए। जिसके लिए निम्नत निर्देशित किया जाता है:-

1. समस्त लौगिंग प्रभागों के अन्तर्गत दिन 30-09-2016 को उपलब्ध कच्चा एवं अर्द्ध निर्मित माल (वृक्ष एवं उत्पादित प्रकाश आदि) का भौतिक सत्यापन
2. उक्त भौतिक सत्यापन लौगिंग अनुभागवार किया जाना है। अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध समस्त कच्चा एवं अर्द्ध निर्मित माल (वृक्ष एवं उत्पादित प्रकाश आदि) की सूची संलग्न (प्रॅफ्रॅ फॅ. N-1) में अनुभाग स्तर पर तैयार कर ली जाय जिसकी प्रति भौतिक सत्यापन दल को उपलब्ध करायी जाय।
3. भौतिक सत्यापन दल का गठन एवं कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा तैयार किया जाय।
4. भौतिक सत्यापन कार्यवाही में अनुभाग एवं इकाई में कार्यरत स्केलर एवं चौकीदार भी योगदान करेंगे जिसमें सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को भौतिक सत्यापन दल का संयोजक सदस्य के रूप में नामित किया जाय।
5. भौतिक सत्यापन दल का दल नायक सामान्यतः उप-लौगिंग अधिकारी/सहायक लौगिंग अधिकारी को नामित किया जाय।
6. अनुभाग अधिकारी पारस्परिक रूप से एक दूसरे के अनुभागों का भौतिक सत्यापन न करें।
7. सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पर्यवेक्षण में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जाय।
8. लौट में प्रयुक्त हो रहे प्रपत्रों के अभिलेखन की पुष्टि भी भौतिक सत्यापन दल द्वारा की जाय।
9. उक्त भौतिक सत्यापन कार्यवाही आपके मार्ग निर्देशन एवं नियंत्रणाधीन की जाय।
10. इस कार्यालय की पत्र सं० एन०२७४४/१३-१(ख)लौ०ज०/दि० 29-07-2016 द्वारा दिन 31-03-2016 को अवशेष वृक्ष, प्रकाश आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक पुष्टि बावत् प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया होगा। उसी प्रकार भौतिक सत्यापन उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक से अवशेष वृक्ष, प्रकाश आदि की पुष्टि बावत् प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
11. भौतिक सत्यापन कार्यवाही के दौरान/फलस्वरूप कोई विसंगति, अनियमितता या कमी/वृद्धि प्रकाश में आती है तो उसके सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही आपके स्तर से की जाय जिसकी सूचना आप द्वारा अपने महाप्रबन्धक को भी प्रेषित की जाय।
12. उपरोक्त भौतिक सत्यापन कार्यवाही अक्टूबर 2016 में सम्पन्न कर ली जाय तथा समीक्षात्मक रिपोर्ट दिन 15-11-16 तक अघोहस्ताक्षरी को भी प्रस्तुत की जाय।
13. निर्धारित समयान्तरान्त भौतिक सत्यापन कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं कोई विसंगति या कमी हाने की दशा में यथोचित कार्यवाही करने का दायित्व आपका है। कालान्तर में कोई विसंगति या कमी उद्घाटित होती है तो उसके लिए आप भी उत्तरदायी होंगे।

अतः आप उपरोक्तानुसार समस्त लौगिंग प्रभागों के अन्तर्गत दिनांक 30-09-2016 को उपलब्ध कच्चा एवं अर्द्ध निर्मित माल (वृक्ष एवं उत्पादित प्रकाश आदि) का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस०टी०एस० लेखा)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 3945 / / दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. मुख्य लेखाधिकारी/आन्तरिक सम्पर्काधिकारी/अन्य अधिकारी/प्रभारी आई०टी० सैल (मु०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. प्रति:- 1- शिविर पत्रावली

2- गार्ड फाईल

जैफूल
(एस०टी०एस० लेखा)

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञातराखण्ड वन किकास निगम, लौगिंग प्रभाग (प्रथम Ph N-1)

अनुभाग के अन्तर्गत अवशेष लौटों में दिनांक 30-09-2016 की स्थिति में अवशेष वृक्ष एवं प्रकाष्ठ आदि का भौतिक सत्याग्रह

भौतिक सत्यापन के

(.....)

अनुभाग अधिकारी

सदस्य
.....

()

भौतिक सत्यापन दल